राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 85 / 2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022 / 179
दायर दिनांक— 16.08.2022
निर्णय दिनांक— 28.07.2023

1. योगेन्द्र पुरी पुत्र नन्दपुरी जाति गुसांई नि0 ग्राम हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़

...प्रार्थी

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. नन्दू पत्नि हेमराज जाति जाट नि0 ग्राम नयागांव तहसील रूपनगढ़

—अप्रार्थीगन

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अधि0 प्रार्थी
2. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी संख्या 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कयशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात जो ग्राम नयागांव तहसील रूपनगढ़ मे स्थित है जिसे प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 27.08.1976 को विक्रेता नारायण पुत्र बालू जाति कुम्हार से कय की गयी थी। वाद वर्णित आराजी ख0न0 92 रकवा 35 वीघा में से प्रार्थी द्वारा 10 बीघा कय की गयी थी, जिसका अंकन विकय पत्र में वर्णित है। विकय पत्र अनुसार प्रार्थी ने कब्जा विक्रेता से प्राप्त किया था तथा इसी अनुसार कयशुदा भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस सम्वत् 2028 में दिनांक 09.05.2000 को करवा ली गयी थी, जिसके बाद प्रार्थी की कयशुदा भूमि के नवीन ख0न0 92 / 1567 रकवा 10 वीघा है, जो संलग्न नक्शा ट्रेस सम्वत् 2028 व जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 के अनसुार है। वर्तमान में प्रार्थी की उक्त भूमि के ख0न0 353 / 92 है। हाल नक्शा ट्रेस तैयार करते समय प्रार्थी की कयशुदा भूमि ख0न0 353 / 92 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस सम्वत् 2028 में दर्शाये अनुसार नहीं कर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी की [illegible] सीमा को कम कर प्रार्थी की उत्तरी सीमा को वढाते हुए नई त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी है। मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त से भिन्न है। इसलिए नक्शा [illegible] शुद्धि हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:00:05 IST
Reason: SelfAttested

28.7.22

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब अनुसार मौके पर खसरे की स्थिति व नजरी नक्शे अनुसार पड़ौसी खातेदार काश्तकार ख0न0 92 ने भी वर्तमान मौका स्थिति अनुसार तरमीम की शुद्धि की जाने की सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि ख0न0 353/92 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस सम्वत् 2028 में दर्शाये अनुसार नहीं होकर वर्तमान भौतिक स्थिति से भिन्न है। इसलिए प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि की पूर्व नक्शा ट्रेस सम्वत् 2028 में दर्शाये गये नक्शा ट्रेस अनुसार करवाये। अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शाये गये नक्शा ट्रेस में मौका स्थिति अनुसार तरमीम की जाने हेतु सहमति जाहिर की। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

28.7.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:00:05 IST
Reason: SelfAttested